



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 05 महीने का कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-1012/15 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पे0जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय कुमार पुत्र कालका प्रसाद द्विवेदी नि0-कुण्डौरा, थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 05 महीने का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी श्री प्रवीण  
कुमार सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 अनिल  
कुमार यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह